



राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, खानपुर
जिला-झालावाड



*** जाति प्रमाण-पत्र ***

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे केन्द्री में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

क्रमांक : RJ32/2012/Misc/Digital Caste (SC/ST)/1429

यह प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी दुर्गेश यादव पुत्री श्री रामकल्याण निवासी- खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान राज्य में जाटव (17) के अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य हैं, जो कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 संविधान अण्डमान निकोबार अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1956 के अन्तर्गत एक अनुसूचित जाति आदिम जाति मानी जा चुकी है।

दुर्गेश यादव और इसका परिवार साधारणतः खानपुर राज्य संघ क्षेत्र राजस्थान के जिला झालावाड के निवासी हैं।

आज दिनांक 06-07-2012 को यह प्रमाण-पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षर से प्रचलित किया गया है।

नोट:

1. यहाँ प्रयोग **साधारणतः** निवासी का अर्थ बही होमा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं. एक.21(37) एन.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध करायें गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता है।
4. शायी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेजात जिले के सम्बन्धित प्रदत्त अधिकारी जितके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगी।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. शायी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www. emitra.gov.in](http://www.emitra.gov.in) पर स्थित On-line Verification Section से online सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, खानपुर

Signature valid

Digitally signed by
CHOTU LAL VERMA
Date: 2012.07.06
11:45:25 IST
Reason: SCM
Location: Rajasthan



1202003410058120